मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम का बेस डिपो

4500. **श्री राधाकिशन मालवीय:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की पूर्ति करने हेतु मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या राज्य की आवश्यकतानुसार वियमान बेस डिपो पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय खाद्य निगम का राज्य में और बेस डिपो खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के विदिशा और राजगढ़ जिलों में एक-एक बेस डिपो खोलने के अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न की पूर्ति हेतु व्यवस्था करेगा?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश में 61 नामित निर्गम केन्द्र स्थापित किए हैं जिन्हें "आधार डिपुओं" के नाम से जाना जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास मध्य प्रदेश में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए मैक्रो स्तर पर पर्याप्त समझी जाती है।

तथापि, निगम धामत्री में एक गोदाम का निर्माण करवा रहा है। सरकार ने मध्य प्रदेश में कटनी और कापा में गोदामों का निर्माण करने के लिए निगम के प्रस्ताव को भी स्वीकृत दे दी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का आयात , भुगतान का तरीका और गेहूं की कीमत पर आयात का प्रभाव

4501. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं आयात करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितना-कितना (कुल मिलाकर) गेहूं आयात किया जा रहा है;

(ग) जिन देशों से गेहूं आयात किया जा रहा है, उसके बदले सरकार उन देशों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करेगी या बदले में किसी वस्तु विशेष का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) आयातित गेहूं का किस्म क्या है, उसके भंडारण के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है तथा आयात किये गये गेहूं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार के माध्यम से उपलब्ध गेहूं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) सरकार ने 1996-97 के दौरान 20.00 लाख टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया था जिसके प्रति राज्य व्यापार निगम ने 16.75 लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेके किए थे। सरकार ने 1997-98 के दौरान 20.00 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है और इसके प्रति राज्य व्यापार निगम ने अब तक आयात के लिए 10.00 लाख टन मात्रा का ठेका किया है। राज्य व्यापार निगम द्वारा अब तक 26.75 लाख टन गेहूं के किए गए ठेके के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

देश	(मात्रा) (लाख टन में)	ठेके की तारीख	दर (अमेरिकी डालर में प्रति टन)
आस्ट्रेलिया	10.00	10.12.96	148.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
	1.25	31. 1.97	156.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
	2.00	14. 2.97	156.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
	2.50	26. 3.97	155.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
	7.50	26. 3.97	154.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
कनाडा	2.50	11.12.96	152.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
अर्जेन्टीना	1.00	2. 2.97	173.00 (जहाज तक निष्प्रभार)

(ग) आयात प्रति व्यापार के किसी तत्व के बिना मुक्त विदेशी मुद्रा में किए जा रहे हैं।

(घ) आयात किए जा रहे गेहूं की किस्में निम्नलिखित हैं:—

देश का नाम	किस्म की प्रकार
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड व्हाइट (ए॰ एस॰डब्ल्यू॰)
कनाडा	कनाडा वेस्टर्न रेड स्प्रिंग (सी॰ डब्ल्यू॰आर॰एस॰)
अर्जेन्टीना	अर्जेन्टीना रेड होर्ड (ए॰आर॰एच॰)

मैक्रो स्तर पर भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध वर्तमान भण्डारण क्षमता आयात किए गए गेहूं का भंडारण करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार/केन्द्रीय भण्डारण निगम/राजय भांडागार निगम जैसी राज्य एजेंसियों और निजी पार्टियों से अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर लेने की पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल के स्टाक में शमिल किया जाएगा और एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के अंतर्गत वितरित करने के लिए राज्य सरकार को जारी किया जाएगा। गेहूं के आयात से गेहूं के खुले बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

Liberalisation and decentralisation of sugar export

4502. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether government have been considering the question of libralisation and decentralisation of sugar export;

(b) if so, the decision taken in the matter;

(c) the latest national stock position of sugar in the country and the availability of sugar for Public Distribution System and for open market and the prevailing domestic prices of sugar on the eve of this decision; and

(d) the amount of sugar proposed to be exported this year, indicating also the total production this year?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The Sugar Export Promotion (Repeal) Ordinance, 1997 was promulgated on 15.1.97. Consequently, the export of